

राजस्थान सरकार

निदेशालय यूनानी चिकित्सा विभाग राजस्थान जयपुर

आयुष भवन, सेक्टर 26, प्रताप नगर, जयपुर-302033 फोन नं. 0141- 2796625 मेल-Rajunani444@yahoo.in

क्रमांक: सामा./चु.आ.सं./2018/ 4516-18

दिनांक:- 23/10/18

समस्त यूनानी चिकित्साधिकारी,
राजकीय यूनानी चिकित्सालय/औषधालय,
सीएचसी/पीएचसी/जिला चिकित्सालय
..... |

विषय :- चुनाव आचार संहिता के कारण अवकाश लेने एवं मुख्यालय छोड़ने पर रोक के संबंध में।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि निर्वाचन आयोग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा राजस्थान विधान सभा चुनाव-2018 के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 06.10.2018 से चुनाव आचार संहिता लागू की गई है। जिसके दृष्टिगत मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राजस्थान, जयपुर द्वारा समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) राजस्थान को निर्देशन के संबंध में इस विभाग के अधीन कार्यरत समस्त अधिकारी/कर्मचारी संबंधित जिले के जिला निर्वाचन अधिकारी (कलक्टर) की अनुमति से ही समस्त प्रकृति के अवकाश/मुख्यालय छोड़ने की स्वीकृति हेतु आवेदन प्रेषित करेंगे, अन्यथा अवकाश स्वीकृत किया जाना सम्भव नहीं होगा।

उक्त निर्देश विधान सभा चुनाव प्रक्रिया - 2018 के पूर्ण होने तक प्रभावी रहेंगे।

मुहम्मद असलम खॉ

(मुहम्मद असलम खॉ)
निदेशक

दिनांक:-

क्रमांक: सामा./चु.आ.सं./2018/
प्रतिलिपि :-

1. शासन उप सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. नोडल अधिकारी विभागीय वेबसाईट को दी जाकर लेख है कि उक्त पत्र को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करावें।
3. रक्षित पत्रावली।

मुहम्मद असलम खॉ
सहायक निदेशक